HSBC

फॉर्म 15जी और 15एच

टाइम डिपॉज़िट्स पर चुकाया/जमा किया गया ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी लागू दरों पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) की कटौती के अधीन है.

हालाँकि, ऐसा टीडीएस निम्नांकित मामलों में लागू नहीं होगा:

1. जहाँ किसी व्यक्ति (वरिष्ठ नागरिक के अलावा) भारत के **निवासी** को किसी शाखा द्वारा एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक संचालित) में चुकाया/जमा किया जाने वाला समेकित ब्याज रु. 40,000 से अधिक नहीं होता है (1 अप्रैल, 2019 से पहले 10,000). निवासी वरिष्ठ नागरिक के मामले में, यह सीमा एक वित्तीय वर्ष में रु. 50,000 है.
2. **किसी ऐसे व्यक्ति** के मामले में **(कंपनी या फर्म को छोड़कर)** (अनुच्छेद 197ए(1ए) नियम 29सी के साथ पठित)
   ए) जो भारत में **निवासी** है; और
   बी) जिसका **संबंधित वित्तीय वर्ष** (1 अप्रैल से 31 मार्च तक संचालित) के लिए अनुमानित कुल आय पर वार्षिक कुल आयकर दायित्व **शून्य** है (कृपया ध्यान रखें कि कुल आयकर दायित्व की गणना किसी टीडीएस को अनदेखा कर होनी चाहिए); और
   सी) संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्म डिपॉज़िट(ट्स) पर संचित होने वाला/देय समेकित ब्याज ऐसे व्यक्ति के मामले में आयकर के लिए भारित न होने वाली अधिकतम राशि से अधिक नहीं हो; और
   डी) जिसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए शाखा में अग्रिम रूप से निर्धारित फॉर्म नं. **15जी (प्रतिलिपि में)** में एक उपयुक्त रूप से पूर्णकृत घोषणा जमा करवाई जाती है.

कृपया यह ध्यान रखें कि फॉर्म 15जी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जमा करवाना होता है और फॉर्म नं. 15जी जमा करवाने में विलंब/चूक होने के परिणामस्वरूप बकाया टीडीएस के लिए उत्तरदायी ऐसे जमा (शाखा को) की तिथि पर या उससे पहले चुकाए/जमा किए गए ब्याज पर बैंक द्वारा टीडीएस कटौती कर दी जाएगी. ऐसे टीडीएस के लिए धन-वापसी का कोई भी दावा सीधे आयकर विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिए, बैंक से नहीं.

3. किसी वैयक्तिक के मामले में [(अनुच्छेद 197ए(1सी) नियम 29सी के साथ पठित)]:
   ए) जो भारत का/की **निवासी** है; और
   बी) जिसकी आयु संबंधित वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक संचालित) के दौरान किसी भी समय **60 वर्ष या उससे अधिक हो;** और
   सी) जिसका संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए उसकी **अनुमानित कुल आय पर कुल वार्षिक आयकर दायित्व शून्य** है (कृपया ध्यान रखें कि कुल आयकर दायित्व की गणना किसी टीडीएस को अनदेखा कर होनी चाहिए); और
   डी) संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्म डिपॉज़िट(ट्स) पर संचित होने वाला/देय समेकित ब्याज ऐसे वैयक्तिक के मामले में आयकर के लिए भारित न होने वाली अधिकतम राशि से अधिक नहीं हो; और
   ई) जिसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए शाखा में अग्रिम रूप से निर्धारित **फॉर्म नं. 15एच (प्रतिलिपि में)** में एक उपयुक्त रूप से पूर्णकृत घोषणा जमा करवाई जाती है.

कृपया यह ध्यान रखें कि फॉर्म 15एच को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जमा करवाना होता है. कृपया यह भी ध्यान रखें कि फॉर्म नं. 15एच जमा करवाने में विलंब/चूक होने के परिणामस्वरूप बकाया टीडीएस के लिए उत्तरदायी ऐसे जमा (शाखा को) की तिथि पर या उससे पहले चुकाए/जमा किए गए ब्याज पर बैंक द्वारा टीडीएस कटौती कर दी जाएगी. ऐसे टीडीएस के लिए धन-वापसी का कोई भी दावा सीधे आयकर विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिए, बैंक से नहीं.

INTERNAL

Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India. Incorporated in Hong Kong SAR with limited liability.